A.R.K CONVENT SCHOOL

Raksarai, Sarai Akil Kaushambi

Ref. Memo   Date 8/05/2023

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the upload document is in original prescribed as per the state government.

A.R.K. Convent School
Raksarai Sarai Akil
Kaushambi
Manager

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी

पत्रांक– मान्यता/784/2019–20 दिनांक– 16/04/2020

प्रबंधक
ए0 आर0 के0 कॉन्वेंट स्कूल
रक्सराई सरांय अकिल जनपद कौशाम्बी।

विषय–ए0 आर0 के0 कॉन्वेंट स्कूल रक्सराई सरांय अकिल कौशाम्बी के स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा 05/04/2020 को दिए गये पत्र से संज्ञानित हुआ कि आपके मान्यता 01/04/2016 को पत्रांक संख्या 16970–75/2016–17 निर्गत की गई जिसमे मान्यता की अवधि तीन वर्ष दी गई।

शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 में प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत औपन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता के शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

प्रबंधक ए0 आर0 के0 कॉन्वेंट स्कूल रक्सराई सरांय अकिल कौशाम्बी के शपथ पत्र व खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र कौशांबी की आख्या पत्रांक – 651–64/2019–20 दिनांक– 09.11.2016 के आधार पर उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानो के दृष्टिगत औपन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी गयी थी–तीन वर्ष की अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लघंन से सम्बन्धित कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्राप्त नही हुआ है।

अतः ए0 आर0 के0 कॉन्वेंट स्कूल रक्सराई सरांय अकिल कौशाम्बी की मान्यता शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के आधार पर मान्यता स्थायी मान ली जाती है।

भवदीय–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

पत्रांक– मान्यता/784/2019–20 दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र–कौशाम्बी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कौशाम्बी।
3. प्रबंधक ए0 आर0 के0 कॉन्वेंट स्कूल रकसराय सराय अकील, कौशाम्बी।

Manager
A.R.K. Convent School

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी
16/04/2020

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कौशाम्बी ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ए0आर0के0 कान्वेंट स्कूल रक्सराई
सरांय अकिल जनपद–कौशाम्बी।

पत्रांकः /मान्यता/ 16970-75 /2016–17 दिनांक 30-12-2016

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक–31.08.2016 तक प्राप्त आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै ए0आर0के0 कान्वेंट स्कूल रक्सराई सरांय अकिल, जनपद–कौशाम्बी का दिनांक–01 अप्रैल 2016 से दिनांक–31 मार्च 2019 तक तीन वर्ष अवधि के लिए कक्षा–01 से कक्षा–08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन हैः–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–08 के पश्चात मान्यता/सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनिनय, 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के .25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अविकसित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नही करेंगे।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– (–)

कुल निर्मित क्षेत्र– (–)

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– (–)

कक्षाओं की संख्या— (है)
प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भांडारगार के लिए कक्ष— (है)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौंचालय— (है)
पेयजल सुविधा— (है)
मिड—डे मील पकाने के लिए रसोई— (—)
बाधारहित पहुँच— (—)
अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता—(है)

9—विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नही चलाई जाएँगी।

10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12—स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (11) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय से साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।

16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17—सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(डी0एस0 यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी।

पृ0सं0: / मान्यता / / 2016—17 तद्दिनांक—

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1—शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
2—अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
3—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
4—सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद—कौशाम्बी।
5—कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी।